न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/150/2018	31–07–2018	11–07–2019

01– नियाज मौहम्मद पुत्र श्री सुभान खां जाति मेव निवासी ग्राम नांगल मोजिया तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर।

–अपीलाण्ट

बनाम

01– उप–तहसीलदार खैरथल जिला अलवर

–रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार खैरथल
दिनांक 02.07.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 04/2018

उपस्थितः–

01–श्री शौकत खान –वकील अपीलाण्ट

–ःनिर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार खैरथल के आदेश दिनांक 02.07.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नांगल मोजिया की सरकारी गै.मु. रास्ता भूमि आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 0.20 है0 में से 0.04 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नांगल मोजिया की सरकारी गै.मु. रास्ता भूमि आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 0.20 है0 में से 0.04 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 15.06.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.07.2018 को कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.08.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)